संशोधित मान्यता नियमावली 2025

हिन्दी संस्करणः–

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

मान्यता अनुभाग– 03

लखनऊ, 05 दिसंबर 2024

नई दिल्ली, 05 दिसंबर 2024

वेबसाइटः– www.lbspstc.com संपर्क सूत्रः– 121– 4349311

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

मान्यता अनुभाग– 03

लखनऊ, 05 दिसंबर 2024

नई दिल्ली, 05 दिसंबर 2024

की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुये परिषद एतद्द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में सह–चिकित्सीय एवं कौशल शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मानक तथा दिशा निर्देश विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

धारा–1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–(क) इन नियमो का संक्षिप्त नाम लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद (मानक और दिशानिर्देश) स्थापना नियम, 2025 है।

(ख) ये नियम समस्त भारतवर्ष में सह–चिकित्सा, कौशल एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो के शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए संचालित की जाने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

(ग) इन नियमो के अधीन किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर विद्यार्थी को जारी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंकसूची सम्पूर्ण देश मे मान्य होगा।

धारा–2 परिभाषाये :– इन नियमो मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद संशोधित नियमावली 2025 (क्र0 01 सन् 2025)

(ख) परिषद् से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

(ग) सह चिकित्सीय विषय से अभिप्रेत है, अनुसूची–एक में वर्णित विषय

(घ) अध्यक्ष से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2
शिक्षण संस्था की मान्यता हेतु अर्हताए

धारा–3 शैक्षिक भवन (प्रशासकीय एवं शैक्षणिक) :–

(क) शैक्षिक भवन अनुसूची–दो अनुसार होगा।

(ख) नर्वस्तुं सह–चिकित्सीय संस्था स्थापित किये जाने की दशा में, शैक्षिक भवन संस्था के स्वामित्व का होगा, परन्तु यदि संस्था के स्वामित्व का भवन नहीं है तो किराए के भवन के आधार पर भी मान्य किया जा सकेगा परंतु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर्ड पट्टा अभिलेख (लीज डीड) होना अनिवार्य है।

(ग) पूर्व से संचालित संस्था को किराये के भवन के आधार पर केवल पाँच वर्ष की अवधि तक ही मान्यता प्रदान की जा सकती है परन्तु पाँच वर्ष के पश्चात् संस्था का स्वयं का भवन होना अनिवार्य है। पाँच वर्ष पश्चात् भी स्वयं का भवन ना होने की स्थिति में नवीन प्रवेश लेने की संस्था को पात्रता नहीं होगी व केवल पूर्व से प्रवेशित छात्र ही अपने पाठ्यक्रम की अवधि को पूर्ण करने हेतु अध्ययन प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) अकादमी भवन आवेदक नवीन संस्था के स्वत्व का होना चाहिए परन्तु यदि संस्था का अपना स्वयं का अकादमी भवन नहीं है, तो आवेदक, संस्था आवेदन के समय राशि रुपये 20 लाख की सावधि जमा (एफडीआर) परिषद् के पक्ष में प्रस्तुत करेगी। यह सावधि जमा (एफडीआर) परिषद् द्वारा 05 वर्ष तक रखी जाएगी। यदि संस्था 05 वर्ष में स्वयं का अकादमी भवन नहीं बनाती है तो संस्था द्वारा दी गई उक्त राशि रुपये 20 लाख की सावधि जमा (एफडीआर) राजसात की जाएगी एवं उक्त संस्था/समिति/कॉलेज को नवीन प्रवेश हेतु मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी एवं ब्लैक लिस्टेट होने के पश्चात् संस्था/समिति/कॉलेज प्रदेश में कहीं भी संस्थान प्रारंभ करने हेतु प्रदेश में कहीं भी आवेदन कभी भी नहीं कर सकेगी।

(ङ) नवीन सह–चिकित्सीय संस्था स्थापना हेतु संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन में अनुसूची–चार में वर्णित मापदंडों के अनुसार चिकित्सालय होने की दशा में ही मान्यता संबंधी प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

धारा–4 छात्रावास:

(क) छात्रावास भवन अनुसूची–तीन अनुसार होगा।

(ख) छात्रावास भवन संस्था के स्वामित्व का होना चाहिए, परन्तु यदि संस्था के स्वामित्व का भवन नहीं है तो किराए का भवन भी मान्य किया जा सकेगा परंतु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर्ड लीज डीड/रजिस्टर्ड किरायानामा होना अनिवार्य है।

धारा–5 व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अर्हित चिकित्सालय :

(क) नवीन संस्थाओ हेतु– नवीन सह–चिकित्सीय संस्था स्थापना हेतु संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन मे अनुसूची–चार में वर्णित मापदंडो के अनुरूप चिकित्सालय होने की दशा मे ही मान्यता संबंधी प्रकरणो पर विचार किया जा सकेगा।

(ख) शासकीय चिकित्सालय से सम्बंद्धता के आधार पर (केवल पूर्व से संचालित संस्थाओ हेतु)–

(एक) आवेदक संस्था का शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुसूची–चार में वर्णित मापदंडो के अनुसार अर्हताधारी चिकित्सालय से अनुसूची–ग्यारह में दर्शित संबंद्धता पत्र के अनुसार होना आवश्यक है।

(दो) ऐसी संस्था जो संभाग के मुख्यालय सहित, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने की इच्छा रखती है और उसने न्यूनतम 100 बिस्तरीय जिसमें कि 1:3 (एक बिस्तर पर तीन विद्यार्थी) के औसत अनुपात के अधार पर शासकीय चिकित्सालय की संबंद्धता प्राप्त कर ली है तो अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकेगा। उपरोक्त चिकित्सालय प्रातःकालीन एवं सांयाकालीन समय मे पॉलीवार प्रशिक्षण हेतु संबुद्ध किए जा सकेंगे।

(तीन) सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था से संबंद्ध शासकीय चिकित्सालय/निजी चिकित्सालय की अधिकतम दूरी 25 कि0मी0 होने पर ही संस्था के मान्यता संबंधी प्रकरणो पर विचार किया जायेगा, किन्तु संस्था प्रशिणार्थी छात्रों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(चार) किसी जिले में एक से अधिक संस्था का आवेदन प्राप्त होने की दशा मे परस्पर वरीयता क्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

क. प्रथम वरीयता शासकीय क्षेत्र में संचालित पैरामैडिकल पाठ्यक्रमो को प्रदान की जायेगी। किसी शासकीय क्षेत्र में संचालित संस्था द्वारा शासकीय चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सालय से भी प्रशिक्षण के आधार पर अनुमति प्रदान

किये जाने संबंधी विचार किया जा सकेगा।

ख. द्वितीय वरीयता संस्था की प्रथम मान्यता प्राप्ति वर्ष के आधार पर दी जायेगी।

ग. सामान वरिष्ठता होने की दशा मे, संस्था के स्वामित्व में क्रमबद्ध अधोसंरचना (अकाडमी भवन, चिकित्सालय, यातायात सुविधा इत्यादि) के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

घ. उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (चार) मद ग में उल्लिखित प्रावधान में भी समान वरिष्ठता की स्थिति में ऑनलाईन दिनांक/समय के आधार पर प्रथम आवेदन करने वाली संस्था को वरियता प्रदान की जायेगी।

(ग) निजी चिकित्सालय, प्रबंधन/स्वामित्व के आधार पर

(एक) निजी चिकित्सालय प्रबंधन/स्वामित्व के आधार पर सह–चिकित्सीय संस्था की मान्यता के संबध में विचार किया जा सकेगा, परन्तु उक्त निजी चिकित्सालय न्यूनतम 100 बिस्तरीय जिसमें कि 1:3 (एक बिस्तर पर 3 विद्यार्थी) के औसत अनुपात के आधार पर होगा। एक सह–चिकित्सीय संस्था को संबंधित विद्या में केवल एक ही निजी चिकित्सालय से व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान होगी।

(दो) संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन मे न्यूनतम 100 बिस्तरीय अस्पताल की उपलब्धता होने पर ही प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

(तीन) उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (तीन) मे उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(चार) संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन के निजी चिकित्सालय का संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(पांच) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा चिकित्सालय की मान्यता निरस्त करने की दशा में चिकित्सालय से संबद्ध शिक्षण संस्थान की मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जायेगी एवं उक्त स्थिति में प्रवेशित छात्र–छात्राओ की अध्यापन से संबंधित समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।

(4) शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ (कर्मचारीवृंद) :

(क) संस्था में शैक्षणिक स्टाफ अनुसूची–पाँच के अनुसार होगा।

(ख) संस्था को शैक्षणिक स्टाफ अनुसूची–छह के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा

(ग) प्रशासनिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाक एवं छात्रावास संचालन हेतु स्टाप अनुसूची–सात

के अनुसार होना अनिवार्य है।

(5) पुस्तकालय एवं उपकरण लैब संस्था में पुस्तकालय एवं उपकरण हेतु लैब अनुसूची–आठ के अनुसार होगा।

(6) संस्था के विगत 3 वर्ष में परीक्षा परिणाम राज्य में संचालित सह–चिकित्सा संस्थाओं के औसत से कम नहीं होना चाहिए। उक्त शर्त के अनुपालन की स्थिति में संस्था को नवीन मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

धारा–6 मान्यता की पात्रता–

(1) पात्रता मानदंड निम्नलिखित संगठन नवीन सह–चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए पात्र होंगे:–

(क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विश्वविद्यालय :

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी निकाय:

(ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं0 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या राज्य में इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं तत्स्थानी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियां:

(घ) भारतीय न्यास, अधिनियम, 1882 (1882 का सं0 21) या वफ्फ अधिनियम, 1954 (1954 का सं0 29) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त न्यास।

(2) अर्हकारी मानदंड पात्र संगठन, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तथा समय–समय पर यथासंशोधित विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे। संगठन, नए सह–चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगे:–

(क)आवेदक का मुख्य उदेश्यों में सह–चिकित्सा एक आवश्यक है।

(ख) तीन या शीन से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक की नगरीय क्षेत्र में अध एकड़ भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ भूमि स्वंय को स्वामित्व की होना चाहिए। कितु इन नियमों में विहित मानकों के अनुसार भूमि नहीं है तो ऐसी संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि भविष्य के किसी संस्थान की मान्यता किसी आधार पर प्रत्याहृत कर ली जाती है, तब ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानांतरित

करने हेतु का अधिकार परिषद् का होगा

(घ) आवेदक संस्था, उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में आवेदन के साथ चाटर्ड एकाउन्टेंट की तीन वर्ष की संपरीक्षा रिपॉट तथा अंकेक्षण परिषद् को आवेदन के साथ उपलब्ध करायेगी।

(ङ) किसी भी अनुज्ञा प्राप्त संस्था में प्रवेश को किसी भी चरण पर तब तक रोका जा सकेगा, जब तक कि परिषद् का समाधान होने तक विकास के विभिन्न चरणों की अपेक्षाएँ परिषद् के अनुसार पूर्ण न कर ली गई हो।

धारा–7 मान्यता की प्रक्रिया–

(क) परिषद् प्रतिवर्ष मान्यता के संबंध में परिषद् की वेबसाइट पर समयबद्ध समयतालिका प्रदर्शित करेगी।

(ख) परिषद् द्वारा निर्धारित समयावधि अनुसार संस्थाओं को ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) परिषद की पूर्व मंजूरी उपरांत प्रथमतः कार्यालय महासचिव, चिकित्सा शिक्षा/परिषद् द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रस्तावित स्थान पर सह–चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्ट्या साध्यत्ता का मूल्याकन करेगी। परिषद् की पूर्व मंजूरी उपरांत समिति में विषय विशेषज्ञ व कार्यालय महासचिव के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जाएगा। स्क्रूटनी का कार्य ऑनलाईन के माध्यम से संपादित किया जाएगा। समिति स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन तथा अधोसंरचना उपलब्ध कराने की आवेदक की सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करेगी तथा मूल्यांकन करते समय, यदि प्रथमदृष्यता समिति को आवेदन नियमानुसार नही पाया जाता है एवं मिथ्या जानकारी प्रदान किये जाने की दशा में आवेदन एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निरस्त कर दिया जाएगा तथा अवोदन शुल्क पूर्णतः राजसात कर लिया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् खंड के अनुसार गठित समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जायेगा एवं समस्त आवेदित संस्थाओं (शासकीय संस्थाओं को छोडकर) का प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा एवं विशेष परिस्थितियों मे परिषद् की पूर्व मंजूरी उपरांत आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से भी संस्था

का भौतिक/औचक निरीक्षण करवाया जा सकेगा।

(ङ) सत्यापन हेतु समिति निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

1.	मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य	अध्यक्ष/नोडल अधिकारी
2.	चिकित्सा महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ (केवल उन स्थानो हेतु जहां चिकित्सा महाविद्यालय हो)/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सामाजिक कल्याणकारी संस्था का अध्यक्ष अथवा सचिव	सदस्य

(4) उक्त समिति परिषद द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार संस्था का भौतिक निरीक्षण करेगी एवं भौतिक निरीक्षण संबंधी स्पष्ट अनुशंसा सहित टीप एवं भौतिक/औचक निरीक्षण की ऑडियो/विजुअल विडियो ऑनलाइन माड्यूल के माध्यम से अपलोड करेगी।

(5) उपनियम (3) के खंड के अनुसार गठित समिति, परिषद् को स्पष्ट अनुशंसा सहित टीप ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तत्पश्चात् परिषद निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा के अनुसार कार्यालय महासचिव को विधिवत प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

(6) आवेदित संस्था को पाठ्यक्रमवार/सीट संख्यावार प्रस्ताव कार्यालय महासचिव के अनुमोदन उपरांत परिषद स्तर से मान्यता पत्र जारी की जायेगी।

(7) आवेदित संस्था को आवेदन शुल्क के साथ अनुसूची–नौ में दर्शाये अनुसार मान्यता हेतु आवेदन निर्धारित ऑनलाईन फार्मेट अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(8) आवेदित संख्या को नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन आवश्यक संबद्ध चिकित्सालय तथा उपनियम (4) के अधीन आवश्यक पूर्णकालिक क्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का परिषद में ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य होगा।

(9) यदि संस्था भौतिक निरीक्षण किये जाने के पूर्व मान्यता संबंधी आवेदन निरसा करने संबंधी मां• करती है तो आवेदन शुल्क में 25 प्रतिशत राशि का कटौती कर शेष राशि लौटा दी जायेगी।

(10) यदि आवेदक द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन पूर्णतः सही/संतुष्टिकारक होने की दशा में परिषद अनुसूची–दस में दशांये गये प्रारूप अनुसार मान्यता प्रमाण–पत्र करेगी।

(11) परिषद् मान्यता संबंधी समस्त निर्णय/आदेश परिषद् की बेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।

(12) परिषद् संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में मान्यता/अमान्यता पत्र ई–मेल के माध्यम से सूचित करेगी।

(13) संस्था को परिषद् द्वारा मान्यता पत्र जारी किये जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेशित छात्र–छात्राओं का ऑनलाईन फार्म भरना अनिवार्य होगा।

(14) किसी भी संस्था के द्वारा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवेदन करने पर आवेदन निर्धारित मापदंड अनुरुप नहीं होने पर संस्था को आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(15) परिषद् उपनियम (3) के खण्ड (ड) के अधीन गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संस्था द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा।

(16) अनुसूची–दस में दर्शायी गई कंडिका–7 के अनुसार, आवेदक परिषद् द्वारा निर्धारित अधोसंरचना, शिक्षण और अन्य मानकों की पूर्ति के लिए परिषद् के पक्ष में न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए एक सावधि जमा तथा एक से तीन पाठ्यक्रमों के लिए तीन लाख रुपये, एक से दस पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख रुपये और दस से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख अतिरिक्त के साथ प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रमो के लिए दो लाख की दर से प्रस्तुत करेगा। यदि परिषद् का यह मत है कि संस्था परिषद् नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई सावधि जमा (एफ0डी0आर0) परिषद् द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

धारा–8 मान्यता अवधि :–

(1) संस्था को परिषद् के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात संस्थाओं को भौतिक सत्यापन/निरीक्षण उपरांत निरीक्षण टीप/अनुशंसा के आधार पर परिषद विधिवत् प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित कार्यालय महासचिव को प्रेषित करेगी।

(2) कार्यालय महासचिव अनुमोदन उपरांत विषयवार सीटवार मान्यता प्रदान की जायेगी एवं आवेदित विषयों में प्रवेशित छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की कालावधि पूर्ण होने तक उक्त के संबंध में संस्था को मान्यता होगी।

(3) किसी भी नवीन सह–चिकित्सीय शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा आरंभ में एक वर्ष की पाठ्यक्रम कालावधि के लिए प्रदान की जायेगी।

(4) केवल केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, संस्था आदि द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को प्रभावशील शुल्क नियनित जमा करने की शर्त पर परिषद के अनुमोदन उपरांत स्थाई मान्यता दी जा सकेगी।

(5) शिक्षण संस्था को सीट वृद्धि नवीन प्रवेश, नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ हेतु संस्था को पुनः मान्यता आवेदन पत्र विधिवत् प्रस्तुत करना होगा।

(6) शिक्षण संख्या को सीट वृद्धि, नवीन प्रवेश, नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् नियम 4 के उपनियम (3) को खण्ड (ड) के अधीन गठित समिति के माध्यम से भौतिक निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार परिषद विधिवत् प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करेगी। कार्यालय महासचिव की मंजूरी उपरांत परिषद स्तर से मान्यता पत्र जारी होगा।

धारा–9 मान्यता निरस्तीकरण–

(1) निम्न परिस्थितियों में संस्था की संपूर्ण मान्यता अथवा पाठ्यक्रम विशेष के लिए मान्यता निरस्त की जा सकेगी :–

(क) संस्था द्वारा नियम 3 में वर्णित आवश्यक अर्हता सतत् धारण नहीं करने की दशा में।

(ख) संस्था मान्यता हेतु परिषद् को प्रस्तुत आवेदन में यदि परिषद् के संज्ञान में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी दी जाने की दशा में।

(ग) प्रवेशित छात्र–छात्राओ के उपस्थिति/पठन–पाठन कार्य संबंधी अनियमितता की दशा मे।

(घ) शिक्षण प्रशिक्षण निम्न स्तर के होने, विद्यार्थी से अनुचित वसूली करने, विद्यार्थीयों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अनुचित रूप से रोकने या रोकने का प्रयास करने पर, विद्यार्थीयों की सुरक्षा में गम्भीर चूक करने अथवा कोई ऐसा कृत्य या चूक करने की दशा में जो किसी शैक्षणिक संस्था की मर्यादा के घोर उल्लघंन मे हो।

(ङ) परिषद् द्वारा लिखित/मौखिक तौर पर समय–समय पर प्रदान किये गये निर्देशो को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर अवहेलना करने पर।

(2) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व, संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जायेगा। तत्पश्चात् संस्था को सात दिवस के भीतर लिखित/ऑनलाईन उत्तर प्रस्तुत न करने की दशा मे मान्यता स्वमेव ही निरस्त मानी जाऐगी।

(3) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व, यदि संस्था का लिखित उत्तर परिषद के अनुसार संतुष्टिकारक प्राप्त नही होने की दशा मे संस्थान की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।

(4) नियम 6 के उपनियम (2) और (3) के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध कोई दीवानी वाद संस्थित नही होगा।

7. संस्थाओं का निरीक्षण :–

(1) परिषद संस्था का नियमित एवं समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करवा सकेगी।

(2) परिषद संस्था निरीक्षण करने वाली समिति के सदस्यो/निरीक्षणकर्ताओ को निश्चित मानदेय/आवश्यक भत्ता भी प्रदान करेगी।

धारा–10 मान्यता शुल्क एवं शिक्षण शुल्क :–

(1) परिषद द्वारा समय–समय पर नियम मान्यता एवं शिक्षण शुल्क लागू होगा। वर्तमान शुल्क अनुसूची–बारह के अनुसार है।

(2) मान्यता शुल्क मे प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिषद द्वारा की जायेगी।

(3) शिक्षण शुल्क मे प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिषद द्वारा की जायेगी।

धारा–11. प्रवेश प्रक्रिया–

परिषद् पैरामेडिकल अकादमिक कैलेण्डर निर्धारित करेगी। उसके अनुसार सख्वान से अध्ययन हेतु प्रवेश के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी–

(1) विज्ञापनः संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

(2) शैक्षणिक अर्हताः जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होगीः

परंतु पंचकर्म में प्रमाणपत्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं हैः

(3) आयु :किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) प्रवीण्य सूचीः प्राप्त आवेदनों संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो, हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगाः

अर्हकारी अंक किसी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत अक निर्धारित हैं।

(5) अन्य शर्ते–

(क) आरक्षण के संबंध में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालय महासचिव जारी परिपत्र क्र0 एफ0 सी0 3–6/2022/1/9, लखनऊ दिनांक 06–05–2019 के अनुसार संस्थान के मान्यता प्राप्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में, कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत ई0 डबलूएस0 के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ग) परिषद् द्वारा संस्थान को मान्यता पत्र जारी किये जाने के उपरांत, संस्थान एक माह के भीतर सभी प्रवेशित छात्र–छात्राओं के प्रवेश फार्म ऑनलाईन माध्यम से समस्त वांछित जानकारी/दस्तावेज सहित जमा करेगा।

(घ) संस्थान में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन प्रवेश आवेदन भरे जाने हेतु परिषद्

द्वारा संस्थान को पंजीकरण आई0डी0 प्रदान की जाएगी।

(ङ) संस्थान द्वारा पंजीकरण आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन भरे गये प्रवेश आवेदनों की पुष्टि / सत्यापन / सुधार हेतु संस्था को एक माह की कलावधि प्रदान की जाएगी।

(च) संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन आवेदनों की पुष्टि / सत्यापन / सुधार अथवा कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने की दशा में, परिषद्, छात्रों का प्रवेश निरस्त करने के लिए बिना कोई नोटिस जारी किए, एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी संस्थान की होगी।

(छ) एक माह की कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत, परिषद् द्वारा पंजीकरण आई0 डी0 माध्यम से प्रवेशित छात्रों की सूची पुनः प्रदर्शित की जाएगी, जो कि मान्य होगी।

(7) विलम्ब "ुल्क –

संस्थान द्वारा निर्धारित तिथिवा ऑनलाईन सूची जना किये जाने की दशा में वसूल किया जाएगा। प्रति छात्र रूपये एक हजार प्रतिदिन के अनुसार अर्थदण्ड वसूल किया जाऐगा।

(8) प्रवेश निरस्त किया जाना–

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के संज्ञान में आता है कि कोई छात्र–छात्रा की अनियमितता/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है तो परिषद् उरु छात्र–छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

(12) विविध–

(क) संस्थान सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष में किसी पाठ्यक्रम ने प्रवेशित छात्र उक्त वर्ग में, उक्त पाठ्यक्रम का ही अध्ययन कर रहा है। यदि किसी भी मध्यम से परिषद् के संज्ञान में आता है कि किसी छात्र द्वारा एक ही वर्ष में एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया गया है, तो परिषद्, कारण बताओं नोटिस जारी करने और जबाब यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् सस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकेगी।

(ख) संस्थान द्वारा प्रवेश फार्म में दी गई कोई जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में, परिषद्,प्रवेश निरस्त कर सकेंगी।

(ग) छात्रों/आवेदकों को मान्यता प्राप्त सस्थानों द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित पाठ्यक्रम/सीटों के अनुसार सीधे संस्थानों को आवेदन करना होगा। परिषद् द्वारा छात्रों

के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी।

(13) विभागीय कोटा–

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामैडिकल कर्मचारियो को, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों मे संचालित पैरामैडिकल पाठ्यक्रमो मे प्रवेश हेतु परिषद द्वारा, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, कुल स्वीकृत सीटो का अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जा सकेगा है।

(14) शुल्क–

(क) संस्थान केवल परिषद द्वारा, कार्यालय महासचिव के पूर्व अनुमोदन से, पाठ्यक्रम विशेष के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सकेगा।

(ख) शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान छात्रों से केवल परिषद द्वारा विहित शिक्षण शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) छात्रावास सुविधा का लाभ लेने के लिए, छात्रावास शुल्क पृथक से देय होगा।

(15) निरसन–

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद (सह–चिकित्सा संस्थाओ की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक नियम, 2023) निरसित किये जाते है :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमो के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही इन नियमो के तत्स्थानी उपबंधो के आधीन की गई समझी जायेगी।

अनुसूची–दो

(नियम 3(1) देखिए)

शैक्षणिक (प्रशानिक और शैक्षणिक) भवन

क्र0	भवन का नाम	प्रमाणपत्र	पत्रोपाधि (डिप्लोमा)
1.	प्राचार्य कक्ष / नोडल अधिकारी	350 वर्गफिट	350 वर्गफीट
2.	विभागध्यक्ष / प्राध्यापक कक्ष	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट
3.	स्टॉफ कक्ष (शैक्षणिक)	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट
4.	कार्यालय विभाग– प्रशासकीय अधिकारी / सामान्य शाखा / लेखा शाखा / स्थापना शाखा / छात्र शाखा / कम्प्यूटर शाखा / अभिलेख शाखा / क्रीणा शाखा / गोपनीय अभिलेख / परीक्षा विभाग	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
5.	सभा कक्ष	250 वर्गफीट	250 वर्गफीट
6.	शिक्षण कक्ष 1000 वर्गफीट प्रतिकक्ष	2 कक्ष	3 कक्ष
7.	हॉल	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट
8.	एनॉटोमी लैब	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट
9.	फिजियोलॉजी लैब	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट
10.	पुस्तकालय	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
11.	कम्प्यूटर लैब	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
12.	पैन्ट्री एवं कैन्टीन	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट

13.	कॉमन कक्ष (छात्र और छात्राओ को पृथक–पृथक)	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट
14.	वॉटर कूलर	200 वर्गफीट	200 वर्गफीट
15.	प्रसाधन (टायलेट/वॉश वेसिन) छात्रो के लिए	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
16.	प्रसाधन (टायलेट/वॉश बेसिन छात्राओ के लिए	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट

नोट :– संबंधित पाठ्यक्रम वार पॉलीवार कक्षाऐं संचालित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

अनुसूची–तीन

(नियम 3(1) देखिए)

शैक्षणिक (प्रशानिक और शैक्षणिक) भवन

क्र0	भवन कक्ष का नाम	निर्मित क्षेत्रफल
1.	छात्रावास कक्ष	प्रत्येक दो छात्रों हेतु 200 वर्गफीट
2.	स्नानगृह	प्रति 2 छात्रो हेतु एक
3.	शौचालय	प्रति 2 छात्रो हेतु एक
4.	अतिथि कक्ष	200 वर्गफीट न्यूनतम एक कक्ष
5.	भण्डार	800 वर्गफीट
6.	डाइनिंग हॉल	प्रति छात्र 10 वर्गफीट
7.	रसोई एवं भण्डार कक्ष	500–500 वर्गफीट
8.	वार्डन कक्ष/कार्यालय	प्रति वार्डन 200 वर्गफीट

टीप : पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।

अनुसूची–चार

(नियम 4(3) देखिए)

चिकित्सालय की आवश्यकता

क्र.	**विवरण**	**प्रमाणपत्र**	**पत्रोपाधि**
1.	विस्तर संख्या (एलोपैथी पाठ्यक्रमो हेतु)	100	100
2.	विस्तर संख्या (आयुष से संबंधित पाठ्क्रमो हेतु)	50	50

टीप' स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमो के लिए 1:3(एक बिस्तर पर तीन छात्र/छात्राएं) के औसत अनुपात के आधार पर आवश्यक अधौसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल होना आवश्यक है।

अनुसूची–पांच

(नियम 4(4) देखिए)

शैक्षणिक स्टॉफ

अ–आवश्यक पद

क्र0	पदनाम	प्रमाण	पत्रोपाधि
1.	प्राचार्य	1	
2.	प्राध्यापक	–	–
3.	सह–प्राध्यापक	–	–
4.	सहायक प्राध्यापक	1	2
5.	डेमोस्ट्रेटर / ट्यूटर	2	2

ब–शैक्षणिक पद हेतु आवश्यक अर्हताएं

क्र	**पदनाम**	**प्रमाणपत्र**	**पत्रोपाधि**
1.	प्राचार्य	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र मे स्नातकोत्तर अथवा सहा चिकित्सीय क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र मेंा स्नातकोत्तर अथवा सहा चिकित्सीय क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
2.	प्राध्यापक	संबंधित संकाय से चिकित्सीय / सहचिकित्सीय क्षेत्र मे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय	संबंधित संकाय से चिकित्सीय / सहचिकत्सीय क्षेत्र मे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा

		क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
3.	सह–प्राध्यापक	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सहचिकित्सीय क्षेत्र मे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सहचिकित्सीय क्षेत्र मे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नोतकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
4.	सहायक प्राध्यापक	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
5.	डेमोंस्ट्रे	संबंधित संकाय से सह	संबंधित संकाय से

	टर/ट्यूटर	चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव

अनुसूची–छह

(नियम 4(4) (ख) देखिए)

संस्था में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टॉफ हेतु आवेदन

(1) व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पद नाम
4. निवास का पता
5. स्थाई निवास का पता
6. जन्मतिथि
7. उम्र
8. आधार नम्बर
9. मोबाईल नम्बर
10.
11. ई–मेल आईडी
12. परिषद्/अधिकृत शासकीय संस्था का पंजीकरण नम्बर

(2) शैक्षणिक योग्यता

पाठ्यक्रम का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्था जहां से परीक्षा उत्तीर्ण की है	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	प्राप्तांक/प्रतिशत

(3) कार्यानुभव

पदनाम	संस्था का नाम	संस्था संचालक नाम एवं पता एवं दूरभाष नं0	कार्याविधि	क्लीनिकल/शैक्षणिक दिनांक से दिनांक तक

प्रस्तावित संस्था संचालक का नाम एवं पदनाम हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

आवेदक के हस्ताक्षर दिनांक मोबाईल नं0 एंव निवास का पता

अनुसूची–सात

(नियम 4(4) (ग) देखिए)

अ–गैर–शैक्षणिक स्टाफ हेतु आवश्यक पद

क्र0	पदनाम	अर्हताएं	संख्या
1.	लिपिक/क्लर्क	स्नातक एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान	02
2.	लाइब्रेरियन	लाइब्रेरियन में स्नातक एवं पत्रोपाधि धारित होना आवश्यक है	01
3.	प्रयोगशाला सहायक	बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण	प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु 01–01 पद
4.	चौकीदार/भृत्य/सफाई कर्मी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	01–01–01 पद
5.	वाहन चालक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (वाणिज्यक लाईसेंस धारी)	प्रतिवाहन हेतु एक

ब–छात्रावास स्टॉफ हेतु आवश्यक पद

क्र0	पदनाम	अर्हताए	संख्या
1.	वार्डन	होम साईस/हाउसकीपिंग मे स्नातक पत्रोपाधि धारी	02
2.	कुक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	02 प्रति 50 छात्रो हेतु
3.	चौकीदार/भृत्य/सफाई कर्मी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	01–01–01 पद

अनुसूची–आठ

(नियम 4(5) देखिए)

पुस्तकालय एवं लैब हेतु आवश्यक उपकरण

क्र0	शैक्षणिक अधौसंरचना	आवश्यकता	सख्या
1.	पुस्तकालय मे पुस्तके	आवेदित पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार	प्रतिविषय न्यूनतम 3 पुस्तके
2.	उपकरण	आवेदित पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार	आवश्यकतानुसार

अनुसूची–नौ

(नियम 5(3) देखिए)

निरीक्षण समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु प्रपत्र

क्र0	मापदण्ड	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संस्था का पंजीयन तथा उद्देश्य	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था का पंजीयन तथा संस्था की नियमावली मे चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य सम्मिलित होना आवश्यक	संस्था का पंजीयन नं0 नाम पता ई–मेल आईडी0
2.	ऑडिट रिपोर्ट	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट होना आवश्यक है। संस्था की विगत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।	सी0ए0 फर्म का नाम सी0ए0 का नाम पता मोबाईल ई–मेल आईडी0
3.	भूमि	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार शहरी क्षेत्र में आधा एकड अथवा ग्रामीण क्षेत्र मे	भूमि का क्षेत्र भूस्वामी का नाम पता

		न्यूनतम एक एकड संस्था के नाम से पंजीकृत भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।	कुल क्षेत्रफल एकड मे भूमि का प्रकार
4.	भवन	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक भवन सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। संस्था के स्वामित्व मे परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महाविद्यालय भवन (महाविद्यालय भवन के फोटोग्राफ / ले–आउट प्लान आदि)	स्वयं / किराये के आधार पर भवन का पता भवन स्वामी का नाम पता कुल क्षेत्र वर्गफीट भूमि का प्रकार अनुबंध दिनांक
	शैक्षणिक स्टाफ	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक शैक्षणिक स्टॉफ उपलब्ध होना आवश्यक है। (कॉलिज कोड 28 अनुसार)	प्राचार्य का नाम प्राचार्य का मो0नं0 ई–मेल आईडी0 कुल शैक्षणिक स्टाफ कुल गैर

		नियुक्त / सहमति प्राप्त शैक्षणिक स्टाफ के बायोडाटा की सत्यापित प्रतियां	शैक्षणिक स्टाफ
5.	पुस्तकालय	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।	लाइब्रेरीयन का नाम लाइब्रेरीयन का मो0नं0 कुल पुस्तक सं0
6.	चिकित्सालय	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह–चिकित्सीय संस्थाओ को पाठ्यक्रमो के संचालन के लिए संस्था के पास न्यूनतम 100 बिस्तो का निजी एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध होना आवश्यक है। 50 या 100 बिस्तरो का आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध होना आवश्यक है।	स्वयं का / शासकीय चिकि सम्बद्धता चिकित्सालय का नाम चिकित्सालय का प्रकार बिस्तर सं0 आयुर्वेद चिकि0 का नाम बिस्तर सं0
7.	निरीक्षण समिति की		

	टीप/अनुशंसा		

क्र0	निरीक्षणकर्ता का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

अनुसूची–बाहर

(नियम 10 देखिए)

प्रति पाठ्यक्रम आवेदन शुल्क

क्र0	पाठ्यक्रम	आवेदन शुल्क	स्वीकृत सीटे	अधिकतम सीटे जिन्हें अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डिप्लोमा	48,720 प्रति पाठ्यक्रम	30	200
2.	प्रमाण–पत्र	31,940 प्रति पाठ्यक्रम	40	200

टीपः 1. उपरोक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित किया गया है।

2. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णाक मे निर्धारित किया जायेगा।

3. मान्यता के लिए देरी से आवेदन करने की दशा मे, उस पर अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुमोदन के पश्चात् विचार किया जायेगा, यदि उप नियम (1) के अधीन विहित आवेदन फीस के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त फीस जमा की जाती है :–

4.किसी भी पाठ्यक्रम मे कॉलम (5) में यथाविहित अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये कॉलम (3) मे विहित शुल्क के अतिरिक्त भुगतान पर सीटो मे वृद्धि की जा सकेगी।

1.	निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन	कोई अतिरिक्त फीस नहीं।
2.	निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिवस	विहित फीस

	तक	के 5 प्रतिशत के बराबर राशि
3.	निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस तक	विहित फीस के 10 प्रतिशत के बराबर राशि
4.	मान्यता हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस की कालावधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।	

शिक्षण शुल्क

क्र0	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क
1.	डिप्लोमा	47,910 / –
2.	प्रमाण–पत्र	34,604 / –

टीपः 1. उपरोक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु निर्धारित किया गया है।

2.उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी, जिसमे निकटतम 10 के पूर्णाक मे निर्धारित किया जायेगा।